न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 10/2019

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 26/02/2019

निर्णय दिनांक : 13/11/2019

1. छीतर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. मोती पत्नि गोपीराम जाति जाट निवासी नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
3. हनुमान पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
4. रजबन पुत्र जाति जाट निवासी नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
5. काना पुत्र बींजा जाति जाट निवासी नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
6. गणेश पुत्र बींजा जाति जाट निवासी नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
7. सर्वदा कुमारी पत्नि छीतरमल जाति जाट निवासी नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

—— प्रार्थीगण

–बनाम–

तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती
(अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति – श्री हरीश कुमार साहू
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बाबत तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के आराजी खतौनी संख्या 91

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

के आराजी खसरा नम्बर 1720 रकबा .66400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1902 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1903 रकबा 0. 2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1905 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1907 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1908 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1913 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1915 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, कुल किता 13 कुल रकबा 6.7400 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम नयागांव तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसके वादीगण एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर मुताबिक अपने हिस्सेअनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजीयात वादीगण व अन्य खातेदारान की आराजीयात रही है जिसका पक्षकारान ने आपसी सहमति से मौके पर तकासमा करवा लिया विवादित आराजीयात वादीगण के हिस्से में आई है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 5549, 5550,5755, 5756, 5749/3, 5750,5751, 5753, 5757 कुल किता 9 कुल रकबा 53 बीघा 16 बिस्वा जो पक्षकारान के मध्य सहमति से तकासमा हुआ है साबिक खसरा नम्बर 5549, 5755, 5756, 5749/3, 5757, 5753 कुल किता 06 कुल रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर पैरा संख्या 1 में वर्णित किये गये है प्रार्थीगण के हिस्से में आई मुताबिक साबिक खसरा नम्बर सीमाज्ञान केतहत मुश्तकिल मुटाम (स्थायी चिन्ह) पूर्वजों के समय से स्थित कुयें के अनुसार नाप चौक की गई जिसकी तरमीम साबिक खसरा नम्बर अनुसार सही की गई है उसी अनुसार प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजीयात पर काबज रहकर काश्त करते आ रहे है। नवीन सैटलमेंट में साबिक नक्शे के अनुसा राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही की जाकर उपरोक्त विवादित आराजीयात के खसरा नम्बरान की तरमीम गलत कर दी गयी प्रार्थीगण की आराजीयात को मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम न कर अन्य खसरा नम्बरान में कम ज्यादा बढा दी गई जिससे उपरोक्त खसरा नम्बरान की तरमीम गलत हो गई जबकि राजस्व रिकार्ड में मुश्तकिल मुटाम (स्थायी चिन्ह कुये के अनुसार) नाप चौक करने से हाल खसरा नम्बरान की तरमीम गलत कर दी गयी है जिससे मौके पर प्रार्थीगण की आराजीयात की नाप चौक सही नही होकर गलत की जायेगी जिससे प्रार्थीगण की आराजीयात को लेकर अन्य व्यक्तियो से अनावश्यक वैमनश्यता व मुकदमेबाजी बढ जायेगी। प्रार्थीगण ने तरमीम दुरूस्त व सही किये जाने बाबत अप्रार्थी के यहां दिनांक 12.01.12019 को प्रार्थना पत्र पेश किया एवं शुद्व करने के लिए कहां

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

तो अप्रार्थी के कारकुनानों द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करने की हिदायत दी जिसके कारण प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्दर मियांद प्रस्तुत हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये अन्त में अनुतोष चाहा कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पैरा संख्या 1 में वर्णित की नक्श तरमीम साबिक नक्शे व खसरा नम्बरान एवं कब्जे अनुसारा नवीन तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। इस हेतु तहसीलदार तहसीला दूदू जिला जयपुर को लिख जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 02/07/2019 को प्रार्थीगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 रामजीलाल, पी. डब्लयू 2 रूपाराम ने शपथ–पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किय गये। वकील प्रार्थीगण ओर साक्ष्य पेश न कर बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व पैराकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी, नामान्तरकरण, नकल नक्शा ट्रेस तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूदू ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि "बिन्दू संख्या 1 में दर्ज भूमि के वादीगण एकमात्र् खातेदार कृषक है, जो सही हैं बिन्दू संख्या 2 में वादीगणों को बिन्दू संख्या 1 में दर्ज भूमि जरिये तकासमा से प्राप्त हुयी थी तकासमा में नक्शे में दर्शाये गये रंग एवं कब्जे के अनुसार तरमीम होनी चाहिये थी, परन्तु वादीगणों की खातेदारी भूमि की तरमीम मुताबिक कब्जा एवं तकासमा नक्शा (रंग के अनुसार) नही होकर अलग ढंग से कर दी, जो गलत है, अतः साबिक नक्शा तकासमा के अनुसार नक्शे में दर्शायी रंग के अनुसार तरमीम किया जाना उचित हैं वादीगणों के हिस्से में आई भूमि जो तकासमा से आयी है, उसकी तरमीम नक्शा के अनुसार न होकर इतर तरीके से करने पर अशुद्धि उत्पन्न हुयी हैं अतः साबिक रिकार्ड एवं साबिक नक्शा तकासमा की तरमीम किया जाना उचित हैं।" तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट एवं हाल नक्शा व साबिक नक्शा का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

किया गया। अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त आराजीयात का प्रार्थीगण के मध्य तकासमा किया गया, जिसमें जिस अनुसार पक्षकारान के तकासमा हुआ है, उस अनुसार हाल नक्शे में तरमीम नही की जाकर भिन्न तरमीम कर दी गयी है, जबकि साबिक नक्शा व मौके पर काबिज अनुसार तरमीम किया जाना चाहिये था। तहसीलदार दूदू ने साबिक रिकार्ड एवं साबिक नक्शा तकासमा के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1720, 1723, 1902, 1903, 1905, 1907, 1908, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919 कुल किता 13 कुल रकबा 6.7400 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नयागांव, तहसील दूदू की वर्तमान तरमीम हजफ की जाकर साबिक नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा तकासमा एवं मौके कब्जे अनुसार नवीन तरमीम दुरूस्त कर दर्ज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner